

# राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लॉट नं. - 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांक: पैरामेडि.कौ / मान्यता / 2019 / 1015

दिनांक 03-06-19

## —:आदेश:—

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर की असाधारण बैठक दिनांक 12.04.2019 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 821 दिनांक 26.04.2019 एवं 822 दिनांक 26.04.2019 की पालना में राजकीय एवं वर्तमान में राज्य सरकार से मान्यता कॉलेजों द्वारा दिनांक 13.05.2019 तक नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा निम्न पैरामेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को निम्न डिग्री पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा जारी मान्यता के आधार पर वर्ष 2018-19 में इन संस्थानों के अभ्यर्थियों के पंजीयन, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

Sr. No.	University /College Name	Address	Government/ Private	Course applied for-	Session
1	Sardar Patel Medical College	Nagnechi Road, Bikaner	Government	Bachelor of Radiation Technology	2019-20
2	RUHS College of Medical Sciences	Sector-11, Pratap Nagar, Jaipur	Government/ University	Bachelor of Medical Lab. Technology B.Sc. In Ophthalmic Technology Bachelor of Radiation Technology	2019-20
3	Jawahar Lal Nehru Medical College	J.L.N. Medical College, Near Patel Stadium, Ajmer	Government	Bachelor of Medical Lab. Technology Bachelor of Radiation Technology	2019-20
4	SMS Medical College	J.L.N. Marg, Jaipur	Government	B.Sc. -Ophthalmic Techniques M.Sc. Radiotherapy Technology Bachelor of Medical Lab. Technology Bachelor of Radiation Technology PG Diploma Perfusion Technology (One Year Duration) PG	2019-20
5	DR. S.N. Medical College	Sector-D, Shanti Nagar, Jodhpur	Government	B.Sc. -Ophthalmic Techniques Bachelor of Medical Lab. Technology Bachelor of Radiation Technology	2019-20
5	Anand Institute of Medical Sciences & Research Center, Jaipur	21, Bharat Mata Lane, JLB Marg, C-Scheme, Jaipur	Private	B.Sc. -Ophthalmic Techniques	2019-20

नोट:-उपरोक्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति बिना निरीक्षण कराये राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के आदेश संख्या 13072 दिनांक 27.09.2018 एवं 23913 दिनांक 25.02.2019 के



द्वारा पूर्व में उनके द्वारा अनुमोदित होने के कारण राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट, 2008 की धारा 28(5) के अन्तर्गत जब तक राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के डिग्री के नियम/विनियम निर्धारित नहीं होते तब तक के लिये शिथिलता प्रदान की जाकर अनुमति प्रदान की जा रही है।

3/6/19  
रजिस्ट्रार  
दिनांक 03-06-19

क्रमांक: पैरामेडि.कौ/मान्यता/2019/1015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
6. कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
8. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज/सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज को पालनार्थ।
11. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
12. पंजीयन शाखा, लेखा शाखा, संस्थापन शाखा एवं काउन्सिलिंग शाखा, मुख्यालय।
13. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आज ही कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
14. रक्षित पत्रावली।

3/6/19  
रजिस्ट्रार